न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, रामनिवास जाट, आर.ए.एस.

अपील संख्या 27/16 **निर्णय दिनांकः 14.05.2019**

1. सुरेन्द्र कुमार पुत्र मनफूल जाति नाई निवासी चक 17 केवाईडी तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल।

—रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 27—07—1999
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः—

1. श्री धनेश खत्री, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के निर्णय दिनांक 27—07—1999 जिसके द्वारा अपीलंट का विशेष आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा बतौर विशेष आवंटन चक 21 बीएलडी के मुरब्बा नम्बर 234/33 में भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया तथा अरनेस्ट मनी राशि 500/— खजानाराज में जमा करवा दिये गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर

प्रदान किये बिना ही अपीलांट का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि अपीलांट बावाजूद सूचना उपस्थित नहीं आया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि अपीलांट् ने बतौर विशेष आवंटन के तहत तहसील पूगल के चक 21 बीएलडी के मुरब्बा नम्बर 234/33 की भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र मय सबूत व धरोहर राशि के प्रस्तुत किया गया। अपीलांट्स द्वारा आवंटन प्रार्थना पत्र के साथ आवंटन हेतु आवश्यक तमाम सबूत पेश किये थे। उसके पश्चात् अपीलांट को कहा गया कि जब भी रकबा आवंटन करेंगे तो आपको रजिस्टर्ड नोटिस सूचित कर दिया जावेगा। अपीलांट रकबा आवंटन की सूचना का इंतजार करता रहा व अपीलांट को कोई नोटिस अथवा सूचना नहीं दी गई।

तत्पश्चात् अदालत मातहत द्वारा दिनांक 27—07—1999 को आवंटन सलाहकार समिति की राय से उक्त आवेदन पत्र अपीलांट/प्रार्थी के उपस्थित नहीं आने पर निरस्त कर दिया गया। जबकि इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस अथवा सूचना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रदान नहीं की गई है। अपीलांट द्वारा आवेदित रकबा रकबा विशेष आवंटन के गजट में वर्ष 1991 से नोटिफाईड किया हुआ है। जो कि स्कीम का रकबा था व अभी भी गजट में आरक्षित है तथा अन्य किसी व्यक्ति को आवंटित नहीं है। वादगत् भूमि आज भी रकबा राज दर्ज है, अन्य किसी को आवंटन नहीं हुई है। अपीलांट आज भी उक्त भूमि की नियमानुसार राशि जमा करवाने को तैयार है।

अपीलांट एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्त्रोत खेती ही है। इसलिए अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर व पीठ पीछे एकतरफा तौर पर पारित किया गया आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट्स ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 27—07—1999 के विरूद्व अपील दिनांक 21—03—16 को पेश की है। जोकि विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अपीलांट को नियमानुसार नोटिस जारी किये जाने के बावजूद भी उपस्थित नहीं आने के कारण अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। लिहाजा अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 18—08—1999 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 18—12—2018 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को कोई नोटिस अथवा सूचना नहीं दी गई है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर पारित किया गया है।

अपीलांट ने दिनांक 28—01—1999 को आवंटन हेतु दरख्वाश्त पेश की, जिसे आवंटन अधिकारी ने दर्ज किया तथा आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष रखने हेतु सूचीबद्व किया। तीन बार कोरम के अभाव में बैठक नहीं हुई। चौथी बार की सूचना पर बैठक हुई परन्तु उक्त तारीख की सूचना आवेदक को नहीं दी गई तथा आवेदक की अनुपस्थिति के कारण आवेदन निरस्त कर दिया गया। उक्त निर्णय प्रार्थी/अपीलार्थी

की पीठ पीछे किया गया हैं जिसकी सूचना नहीं थी। बाद में समय समय पर आवंटन अधिकारियों का क्षेत्राधिकार परिवर्तन होता रहा। ऐसी स्थिति में गांव के सामान्य व्यक्ति के लिये संभव नहीं कि अपने आवेदन का लगतार पीछा करें। अपीलांट द्वारा विलम्ब बाबत् बताये गये उपरोक्त कारण संतोषजनक पाये जाने पर अपील पेश करने में हुआ विलम्ब माफ किया जाता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत राजपत्र दिनांक 05—01—1991 तथा चालु वर्ष की जमाबन्दी पेश की गई है जिसमें चक 21 बीएलडी का मुरब्बा नम्बर 234/33 गजट में आवंटन हेतु प्रकाशित है तथा रकबाराज है। उक्त रकबाराज भूमि पर अपीलांट अपना कब्जा तथा निवास होना बता रहा है परन्तु इस संबंध में कोई सबूत पेश नहीं किया।

8. लिहाजा सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ मु. बीकानेर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 27—07—1999 एकपक्षीय एवं अस्पष्ट होने के कारण अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अधिसूचित आराजीराज भूमि का नये सिरे से निस्तारण करते समय अपीलांट द्वारा दिनांक 29—01—1999 को प्रस्तुत आवेदन प्राथमिकता पर रखते हुए आवंटन कार्यवाही आवंटन नियम 1975 के नियम 7 में निर्धारित प्राथमिकताओं में शामिल करें तथा नियम 10 व 11 के तहत नये सिरे से आवेदन प्राप्त करते हुए प्राथमिकता सूची में शामिल करें तथा प्रारूप IV में संधारित रजिस्टर में दर्ज करें व आवंटन नियम 13 में उल्लेखित प्रक्रिया अपनाते हुए आवेदन पत्र का विधि सम्मत निस्तारण करें।

9. निर्णय आज दिनांक 14.05.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर